भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5618
जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 को दिया जाना है

विभिन्न जेलों में विचाराधीन कैदी

5618. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश भर की विभिन्न जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है जिसके कारण कई कैदी अपने मामलों में अंतिम निर्णय लिए बिना लंबे समय तक जेल में रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार देश में विचाराधीन कैदियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार विचाराधीन कैदियों की संख्या को कम करने और उक्त मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए किसी ठोस योजना पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित कारागार सांख्यिकी को संकलित करता है और उसे अपने वार्षिक प्रकाशन "भारत में कारागार" सांख्यिकी में प्रकाशित करता हे । वर्ष 2023 के नवीनतम प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, तारीख 31 दिसम्बर, 2023 तक देश के कारागारों में परिद्धध विचाराधीन कैदियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या **उपाबंध-क** के रुप में संलग्न है । ये आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वेबसाइट पर सरलता से उपलब्ध हैं, website: https://www.ncrb.gov.in/uploads/files/PSI-20231.

(ग) और (घ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 4 के अधीन 'कारागार और कैदी' एक राज्य सूची का विषय हे । इसलिए कारागारों और कैदियों का प्रशासन एवं प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । केंद्र सरकार भी इस संबंध में राज्य सरकारों के प्रयासों का अनुपूरक सहायता प्रदान करती रही है ।

निर्धन कैदियों, जो उन पर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असमर्थ हैं या जो वित्तीय बाधाओं के कारण जमानत प्राप्त करने में असमर्थ हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार "निर्धन कैदियों को सहायता" नामक योजना कार्यान्वित कर रही है । इस योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देशों और एसओपी में 1 लाख रुपये तक की जमानत सहायता मामले के प्रसंस्करण के लिए समय-सीमा विहित करने और निधियों के आहरण एवं उपयोग की प्रक्रियाओं के सरलीकरण का उपबंध है । इस योजना के कार्यान्वयन के लिए, गृह मंत्रालय एमएचए ने तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2023-24, 2024-25, और 2025-26 के लिए 20 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय परिव्यय प्रदान किया था ।

इसके अतिरिक्त, राष्टीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने पात्र विचाराधीन कैदियों और दोषसिद्ध व्यक्तियों को छोड़ने की सिफारिश करने के लिए सभी जिलों में विचारधीन पुनर्विलोकन समितियों (यूटीआरसी) की स्थापना की पहल की है । पूरे देश में इन समितियों (यूटीआरसी) द्वारा त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान इस समितियों द्वारा अनुशंसित और छोड़े गए विचारधीन कैदियों की संख्या निम्नवत है :

वर्ष	**जमानत/छोड़े जाने हेतु अनुशंसित विचारधीन कैदियों (यूटीपी) दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या**	**विचाराधीन पुनर्विलोकन समितियों यूटीआरसी की अनुशंसाओं के अनुसरण में छोड़े गए अंतवासियों की संख्या**
2023	73,274	34,232
2024	53,594	25,982
2025	40,434	22,523
Total	**1,67,302**	**82,737**

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार ने देश में विचाराधीन कैदियों की संख्या कम करने के उद्देश्य से जमानत सुधारों को क्रियान्वित करने की पहल की है । भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479(1) यह उपबंध करती है कि *"जहां किसी व्यक्ति ने इस संहिता के अधीन किसी विधि के अधीन अपराध (वह अपराध नहीं जिसके लिए उसे उस विधि के अधीन मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा विनिर्दिष्ट की गई है) अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि की आधी अवधि तक का निरोध पूरा कर लिया हो, उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जाएगा ।"*

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479(1) के अधीन परंतुक प्रथम बार अपराध करने वाले अपराधियों/विचाराधीन कैदियों को अतिरिक्त अनुतोष प्रदान करता है और

यह उपबंध करता हे कि “जहां ऐसा व्यक्ति प्रथम बार अपराध करने वाला अपराधी जो पूर्व में कभी किसी अपराध के लिए सिद्धदोष न ठहराया गया हो) है”, तो उसे न्यायालय द्वारा बंधपत्र पर छोड़ दिया जाएगा, यदि उसने उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की अधिकतमम अवधि की एक-तिहाई अवधि तक के निरोध को पूर्ण कर लिया है ।”

'विभिन्न कारागारों में विचाराधीन कैदी' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5618, जिसका उत्तर तारीख 27 मार्च, 2026 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

तारीख 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति के अनुसार देश में विचाराधीन कैदियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	168
2	आंध्र प्रदेश	5,568
3	अरुणाचल प्रदेश	188
4	असम	7,546
5	बिहार	46,529
6	छत्तीसगढ़	718
7	चंडीगढ	11,520
8	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और द्वीप	134
9	दिल्ली	17,834
10	गोवा	476
11	गुजरात	11,549
12	हरियाणा	19,292
13	हिमाचल प्रदेश	1,827
14	जम्मू - कश्मीर	4,568
15	झारखंड	13,584
16	कर्नाटक	11,723
17	केरल	6,064
18	लद्दाख	42
19	लक्षद्वीप	3
20	मध्य प्रदेश	22,964
21	महराष्ट्र	32,438
22	मणिपुर	416
23	मेघालय	881
24	मिजोरम	1,247
25	नागालैंड	432
26	ओडिशा	14,778
27	पुडुचेरी	304
28	पंजाब	24,503
29	राजस्थान	17,263
30	सिक्किम	171
31	तमिलनाडु	12,351
32	तेलंगाना	3,799
33	त्रिपुरा	847
34	उत्तर प्रदेश	73,491
35	उत्तराखंड	4,398
36	पश्चिमी बंगाल	20,294
	कुल	**3,89,910**

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा की गई भारतीय कारावास संख्यिकी, 2023 की रिपोर्ट ।
